

25.08.22

पत्तावली पत्रा (दुई) वकील जीवा. उपाध्याय/ अग्रणी  
 तदनुसार गुदा गौदजी हे मोका पांच रिपोर्ट प्राप्त  
 हो चुकी है जो पत्तावली में शामिल मिल है। जो  
 वकील व अग्रणी के निवेदन पर बहस प्राप्तावली  
 की गई। बहस के दौरान अग्रणी वकील ने अग्रणी  
 में अंकित तथ्यों का दोहराया तथा अग्रणी पत्र में  
 वर्णित भूमि में अग्रणी का नाम देवीलाल पुत्र लेखुराम  
 के बजाय देवराम पुत्र लेखुराम शुद्ध दुखान्त किसे  
 जाने का निवेदन किया। अग्रणी तदनुसार पांच  
 रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का दोहराया तथा अग्रणी  
 का अग्रणी पत्र स्वीकार करने में अग्रणी पत्तावली  
 पत्तावली का एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का दृष्टान्तपूर्वक  
 प्रबलकन किया गया एवं बहस पर अग्रणी  
 दस्तावेजात एवं पांच रिपोर्ट अग्रणी अग्रणी का अग्रणी  
 पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत  
 होता है। अग्रणी का अग्रणी पत्र अग्रणी द्वारा 1366 RA Act  
 स्वीकार किया जाता है कि ग्राम नंगली दीपविंद  
 पट्टार हल्का मैनपुरा के वर्तमान भूमि ब्लॉक 167,  
 168, 169 किता उ कुल एकबा 3.57 है। भूमि हेरापल  
 रिकार्ड में दर्ज देवराम पुत्र लेखुराम के बजाय देवराम  
 पुत्र लेखुराम तथा ग्राम गजला खुर्द पट्टार हल्का  
 गजला कलां के वर्तमान भूमि ब्लॉक नम्बर 4, 5, 6 किता  
 उ कुल एकबा 3.78 है। भूमि हेरापल रिकार्ड में अग्रणी

ग	कार्यवाही विवरण	अनुपा क्रमांक
---	-----------------	---------------

का नाम देवीलाल पुत्र लेखुराम के बचपन देवराम पुत्र लेखुराम दुखान्त किया जाता है। तदनुसार तदकालका गुडा गौड़ी शास्त्र रिकार्ड के अन्तर्गत करामद करे। पत्नावली फैलम पुमा (दोकर नम्बर) के कम हो तथा दाखिल पत्र (ह) अथ ह —

25/8/22